

विवरण II

भाग अ

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम 31 मार्च की स्थिति

| | |
|-------------|--|
| बैंक का नाम | |
|-------------|--|

| | | |
|---|---|-----|
| (अ) समायोजित बैंक ऋण (अआइ) | ₹ | लाख |
| (आ) (क) कुल तुलनपत्रेतर ऋण (ओबीइ) | | |
| (ख) ओबीइ के समतुल्य ऋण राशि | ₹ | लाख |
| (इ) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का उधार | ₹ | लाख |
| (ई) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबीइ के समतुल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो | | % |
| (उ) कमजोर वर्ग को कुल प्राथमिकता प्राप्त उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबीइ के समतुल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो | | % |

| | | (वास्तविक खाता तथा राशि लाख ₹ में) | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | कुल खातो की संख्या | कुल बकाया राशि | जिसमें से अनु जाति | | जिसमें से अनु जन जाति | | जिसमें से अल्पसंख्यक | |
| | | | | खातों की संख्या | बकाया राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम | | | | | | | | | |
| 1 | कुल ऋण (क+ख) | | | | | | | | |
| | (क) प्रत्यक्ष | | | | | | | | |
| | (ख) अप्रत्यक्ष | | | | | | | | |
| | कृषि को कुल अग्रिम राशि प्रदान की गयी | | | | | | | | |
| | (i) वैयक्तिक कृषक | | | | | | | | |
| | (ii) सामूहिक, सांझेदारी फर्म तथा संस्था (प्रति उधारकर्ता रु.एक करोड तक की समग्र ऋण सीमा) | | | | | | | | |
| | (iii) सामूहिक, सांझेदारी फर्म | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | तथा संस्था (प्रति उधार कर्ता रु. एक करोड रु. की समग्र ऋण सीमा से अधिक) | | | | | | | | |
| | (iv) | उपज गिरवी / दृष्टिबंधक रखने के बदले में कृषक को | | | | | | | | |
| | (v) | सामूहिक ,सांझेदारी फर्म तथा संस्था द्वारा ली गयी अन्न और कृषि आधारित संसाधन इकाई (प्लांट और मशिनरी में ₹ 10 करोड तक निवेश) | | | | | | | | |
| 2 | | लघु उद्यमी को कुल ऋण* (निर्माण तथा सेवा उद्यमों सहित) (क+ख) | | | | | | | | |
| | (क) | प्रत्यक्ष | | | | | | | | |
| | (ख) | अप्रत्यक्ष | | | | | | | | |
| | | जिसमे से लघु उद्यमों को अग्रिम राशि प्रदान की गयी | | | | | | | | |
| | (i) | निर्माण उद्यम (क+ख+ग) | | | | | | | | |
| | | (क) पी एण्ड एम में ₹ 5 लाख तक के निवेश वाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | | (ख) पी एण्ड एम में ₹ 5 लाख से ₹ 25 लाख तक के निवेशवाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | | (ग) पी एण्ड एम में ₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड तक के निवेशवाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | (ii) | सेवा उद्यमी (क+ख+ग) | | | | | | | | |
| | | (क) उपकरणों में ₹ 2 लाख तक का निवेश | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | वाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | | (ख) उपकरणों में ₹ 2 लाख से ₹ 10 लाख तक का निवेश वाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | | (ग) उपकरणों में ₹ 10 लाख से ₹ 2 करोड तक के निवेश वाले उद्यमी | | | | | | | | |
| | (iii) | खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रदान अग्रिम | | | | | | | | |
| 3 | व्यष्टि ऋण | | | | | | | | | |
| 4 | अजा / अजता के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संस्था | | | | | | | | | |
| 5 | शैक्षणिक ऋण | | | | | | | | | |
| 6 | आवास ऋण | | | | | | | | | |
| 7 | कुल कमजोर वर्ग | | | | | | | | | |
| | कमजोर वर्ग को कुल अग्रिम में से निम्न लिखित को दिया गया वित्त : | | | | | | | | | |
| | | महिला | | | | | | | | |
| 8 | कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (1 से 7) | | | | | | | | | |

- परिशोधित दिशानिर्देश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में दी गई परिभाषा के अनुसार

| निर्यात कार्यकलाप में लगे हुए एककों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण | कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप | लघु उद्यम |
|---|----------------------------|-----------|
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों में से निर्यात को दिए गए ऋणों की राशि | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| गुजरात | | | | | | | | |
| महाराष्ट्र | | | | | | | | |
| दमन और दिव | | | | | | | | |
| गोवा | | | | | | | | |
| दादरा और नगर हवेली | | | | | | | | |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | | |
| छत्तीसगढ | | | | | | | | |
| आंध्रप्रदेश | | | | | | | | |
| कर्नाटक | | | | | | | | |
| लक्षद्वीप | | | | | | | | |
| तामिलनाडु | | | | | | | | |
| केरल | | | | | | | | |
| पुदुचेरी | | | | | | | | |
| अखिल भारतीय | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| कश्मीर | | | | | | | | |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | | | | |
| राजस्थान | | | | | | | | |
| गुजरात | | | | | | | | |
| महाराष्ट्र | | | | | | | | |
| दमन और दिव | | | | | | | | |
| गोवा | | | | | | | | |
| दादरा और नगर हवेली | | | | | | | | |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | | |
| छत्तीसगढ | | | | | | | | |
| आंध्रप्रदेश | | | | | | | | |
| कर्नाटक | | | | | | | | |
| लक्षद्वीप | | | | | | | | |
| तामिलनाडु | | | | | | | | |
| केरल | | | | | | | | |
| पुदुचेरी | | | | | | | | |
| अखिल भारतीय | | | | | | | | |

